में स्थित तापीय विघुत गृह अपने वास्तविक क्षमता से विघुत का कम उत्पादन कर रहे हैं। विघुत गृहों के संयंत्र लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) में वर्ष 1990 के शुरू में हुई 54% से 57% तक का वृद्वि से वर्ष 1997 में निरंतर रूप से लगभग 64.3% तक की वृद्वि हुई हैं।

(घ) और (घ) देश में उपलब्ध अधिकांश कोयले के भंडार निम्न ग्रेड के हैं तथा इसमें उच्च मात्रा में राख विद्यमान हैं। अतः राष्ट्रीयकरण के समय से कोयले का वृद्वयात्मक उत्पादन आवश्यक रूप से निम्न ग्रेड के कोयले का हुआ हैं जो कि आमतौर से विघुत उत्पादन किए जाने के लिए उपयुक्त हैं। कोयले की गुणवत्ता संबंधी विशिष्टिकरण को दृष्टिगत करते हुए विघुत गृहों द्वारा तदनुसार अपने बॉयलरों को अभिकल्पित किया गया हैं तथा उन्होने राष्ट्रीयकरण से पूर्व किए उत्पादन से अधिक उत्पादन हासिल किया हैं।

दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र और महानदी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्य

1252. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कोयले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व क्षेत्र और महानदी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में ठेके पर दिए गए किन्तु अधूरे छोड़ दिए गए सिविल निर्माण कार्य को किन-किन ठेकेदारों ने पूरा किया;

(ख) इस निर्माण कार्य के लिए नए ठेकेदार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और पूर्व ठेके की तुलना में यह धनराशि कितनी अधिक थी;

(ग) नए ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने के लिए पूर्व ठेकेदारों और संबद्व अधिकारियों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) के अनुसार अपूर्ण छोड़े गए कार्यो में से 30 जून, 1997 तक पूर्ण कराए गए कार्यो और इसके लिए ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से संबंधित सूचना अनुबंध में दर्शाई गई हैं। (देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 30)

जहां तक महानदी कोलफील्ड्स लि. का संबंध हैं, 1994-95 से 996-97 तक की अवधि में किसी भी ठेकेदारों द्वारा कोई भी सिविल निर्माण कार्य अधूरा नहीं छोड़ा गया हैं। जहां तक नए ठेकेदारों को संबद्व अधिकारियों के विरूद्व अधिक भुगतान किए जाने की कार्रवाई का संबंध हैं, यह उल्लेख किया गया हैं कि अधूरे ठेको के संबंध में शेष निर्माण कार्यो के निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने के बाद नए ठेकेदारों को दिया गया था। अधूरे ठेकों के शेष निर्माण कार्यो को पूरा किए जाने के संबंध में राशि में वृद्वि समयावधि तथा कीमतों में वृद्वि होने के कारण हुई हैं, जो कि अपरिहार्य थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी मामलों में जहां कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया था, उक्त मामलों में ठेके के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से दंड लगाया गया हैं।

Lease of Captive coal mines

1253. SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:
SHRI BRATIN SENGUPTA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether mining plan has to be approved by Central Government before a captive mining lease for coal can be granted by a State Government;

(b) if yes, whether mining plan was approved by Government for the coal mine leased by Government of

Maharashtra to Central India Coal Company in Chandrapur, Maharashtra;

(c) the total area leased by Government of Maharashtra and the approximate quantity of coal deposit in the area;

(d) the price at which the area was leased to CICC; and

(e) whether there was any competitive bidding for leasing the area?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Before a lease for mining coal can be granted by the State Government, the previous approval of the Central Government is required to be obtained under proviso to Section 5(1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957. The mining plan for any coal mining block has also to be approved by the Central Government.

(b) The approval of the mining plan prepared by the Central India Coal Company Limited was communicated on 13.9.96. However, the previous approval of the Central Government under Section 5 (1) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act to the grant of a mining lease has not yet been granted.

(c) and (d) A%-the previous approval of the Central Government to the issuance of the lease has not been accorded, the Government of Maharashtra could not have leased mines to Central India Coal Company Limited. Therefore the questions raised in these parts do not arise.

(e) No, Sir.

Gradewise fixation of prices of coking and non-coking coal

1254 SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for washery grade IV of coking coal, price concession over washery grade III is much lower than for washery grade III over washery grade II;

(b) whether it is also a fact that ash content range in washery grade IV is much wider than for washery grades III and II; and

(c) if so, the scientific basis for fixation of gradewise prices of coking and non-coking coal and in what manner the interests of users of relatively high ash content coal are protected?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) Washery Grade II, III and IV are coking coals. The pithead prices of these grades announced by Coal India Limited (CIL) with effect from 1.4.97 in respect of its subsidiary companies namely, Eastern Coalfields Limited (ECL), Central Coalfields Limited (CCL), Bharat Coking Coal Limited (BCCL), Western Coalfields Limited (WCL) and South Eastern Coalfields Limited (SECL), the price differentials between the consecutive grades and the range of ash content of these grades are given below:—